

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

दिनांक:- 24.06.2019

प्रकरण संख्या:-133/2019

1. मंजु बाई पत्नी श्री प्रभुलाल जाति प्रजापत आयु 32 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा।
2. जावेद हुसैन पिता श्री महमूद खां जाति मुसलमान आयु वयस्क नि० निम्बाहेड़ा।
3. वरदीचन्द पिता लालचन्द रावत जाति रावत आयु 45 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा।
4. कालू पिता लालचन्द रावत जाति रावत आयु 30 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा।
5. उदयलाल पिता लालचन्द रावत जाति रावत आयु 26 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा।
6. रतनी बाई पुत्री लालचन्द रावत जाति रावत आयु 28 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा।
7. शांति बाई बेवा लालचन्द रावत जाति रावत आयु 65 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा।
8. कमली बाई पुत्री बंसीलाल रावत जाति रावत आयु 44 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा।
9. दुर्गा बाई पुत्री बंसीलाल रावत जाति रावत आयु 36 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा।
10. माया बाई पुत्री बंसीलाल रावत जाति रावत आयु 28 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा।
11. रवीना पुत्री बंसीलाल रावत जाति रावत आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये सरपरस्त माता रामकन्या बाई पत्नी बंसीलाल जाति रावत आयु 60 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा।
12. रामकन्या बाई पत्नी बंसीलाल जाति रावत आयु 60 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।


//बनाम//

1. श्यामलाल पिता कन्हैलाल जाति जैन आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा।
2. मदनलाल पिता मोहनलाल मीणा जाति मीणा आयु 50 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा।
3. बाबूलाल पिता श्री मोहनलाल मीणा जाति मीणा आयु 45 वर्ष निवासी कासोद तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा०ले०रे०एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कासोद प०ह० निम्बाहेड़ा-बी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 189 की आराजी न० 256/575 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खआराजी न० 258 रकबा 1.3100 हैक्टेयर, कुल कीता 2 कुल रकबा 1.8100 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ौसी है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई



५०१
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

विवाद नहीं हाने की स्थिति में , किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि वाके मौजा कासोद प0ह0 ~~तहसील~~ निम्बाहेड़ा-बी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 189 की आराजी न0 256/575 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, आराजी न0 258 रकबा 1.3100 हैक्टेयर, कुल कीता 2 कुल रकबा 1.8100 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करे।

आज दिनांक 24.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



५०१
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

